न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/–विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), गाजियाबाद।

सिविल अपील वाद सं० 36/2001

महाबीर सिंह बनाम नैपाल सिंह

दिनांक–24.05.2019.

सिविल अपील वाद पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षों को प्रार्थनापत्र 120ग, अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र 120ग मय शपथपत्र कागज सं० 121ग अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अपील में प्रतिउत्तरदाता नं० 1 नैपाल सिंह पुत्र तारा सिंह की मृत्यु दिनांक 12.09.2016 को हो चुकी है। मृतक नैपाल सिंह के चार पुत्र, बिजेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, सतीश, दीपक कुमार कानूनी व जायज वारिसान है। अतः मृतक नैपाल सिह के सामने मृतक शब्द अंकित किया जाए तथा उसके चारों पुत्रों, बिजेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, सतीश, दीपक कुमार को वारिसान बनाया जाए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 120ग स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र कागज सं० 120ग न्याय हित में पर स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 120ग न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। प्रतिउत्तरदाता नं० 1 नैपाल सिंह के पुत्रों, बिजेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, सतीश, दीपक कुमार को वारिसान बनाया जाता है। अपीलार्थी अपील में संशोधन अन्दर सात दिन करे। प्रार्थनापत्र 120ग तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.07.2019 नियत की जाती है।

(मलखान सिंह)

अनन्य विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/–

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद।